

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक: 31.05.2025

संख्या-1/पी0-1004/2024-सा0प्र0-9838/श्री राजीव रौशन, भा0प्र0से0 (2010), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, दरभंगा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2024-सा0प्र0-9839/श्री कौशल किशोर, भा0प्र0से0 (2010), निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं (आई सी डी एस), पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2024-सा0प्र0-9840/श्री चन्द्रशेखर सिंह, भा0प्र0से0 (2010), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2024-सा0प्र0-9841/श्री अवनीश कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (2010), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुंगेर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2024-सा0प्र0-9842/श्री राज कुमार, भा0प्र0से0 (2010), प्रबंध निदेशक, कम्पेड, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2024-सा0प्र0-9843/श्री हिमांशु कुमार राय, भा0प्र0से0 (2010), विशेष सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2024-सा0प्र0-9844/श्री त्यागराजन एस.एम. भा0प्र0से0 (2011), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, गया (गयाजी) को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, पटना के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2024-सा0प्र0-9845/श्री नवीन कुमार, भा0प्र0से0 (2011), राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2024-सा0प्र0-9846/श्री कौशल कुमार, भा0प्र0से0 (2012), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, सुपौल को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2024-सा0प्र0-9847/श्री कुन्दन कुमार, भा0प्र0से0 (2012), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, पूर्णिया को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, नालन्दा, बिहार शरीफ के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2024-सा0प्र0-9848/श्री अरविन्द कुमार वर्मा, भा0प्र0से0 (2012), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मधुबनी को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2024-सा0प्र0-9849/श्री धर्मेन्द्र कुमार भा0प्र0से0 (2013), प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2024-सा0प्र0-9850/श्री नवदीप शुक्ला, भा0प्र0से0 (2013), निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना) को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, बांका के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2024-सा0प्र0-9851/श्री आनन्द शर्मा, भा0प्र0से0 (2013), निदेशक, पंचायती राज, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- मुख्य महाप्रबंधक, बिहार विकास मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2024-सा0प्र0-9852/श्री नवीन, भा0प्र0से0 (2013), अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, जमुई के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2024-सा0प्र0-9853/डॉ. विद्या नन्द सिंह, भा0प्र0से0 (2013), निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, बक्सर के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2024-सा0प्र0-9854/श्री सुनील कुमार-1, भा0प्र0से0 (2013), बंदोबस्त पदाधिकारी, मुंगेर को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2024-सा0प्र0-9855/श्री पवन कुमार सिन्हा, भा0प्र0से0 (2013), अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2024-सा0प्र0-9856/श्री शशांक शुभंकर, भा0प्र0से0 (2014), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, गया (गयाजी) के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2024-सा0प्र0-9857/श्री आदित्य प्रकाश, भा0प्र0से0 (2014), अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, सिवान के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2024-सा0प्र0-9858/श्री सावन कुमार, भा0प्र0से0 (2015), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, सुपौल के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2024-सा0प्र0-9859/श्रीमती वर्षा सिंह, भा0प्र0से0 (2016), अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2024-सा0प्र0-9860/श्री अंशुल कुमार, भा0प्र0से0 (2016), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, बांका को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2024-सा0प्र0-9861/श्री दीपेश कुमार, भा0प्र0से0 (2017), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, मधुबनी को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, सहरसा के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

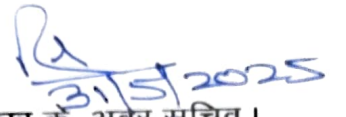

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/पी0-1004/2024- सा0प्र0-9861/ पटना-15, दिनांक: 31.05.2025

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा- आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव,

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/संबंधित विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित कार्यालय/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/आईटी00 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु) /सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01 एवं 06 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।